शास. गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

Phone No. : 07786-299226,E-mail ID :-ggckondagaon@gmail.com

क्रमांक 748/अ.व्या./2024 कोण्डागाँव, दिनांक 12/07/2024

//अतिथि व्याख्याता एव अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप//

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज स्था/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/07/2024, छ.ग. शासन उच्च विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक /एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20/06/2024 तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/07/2024 के आदेशानुसार शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागाँव (छ.ग.) में रिक्त प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ाधिकारी के पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक/अतिथि क्रीड़ाधिकारी/अतिथि क्रीडा सहायक/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि ग्रंथालय सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **आवेदक अपने समस्त प्रमाण –पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 22/07/2024 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं।** निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अतिथि व्याखाता नीति – 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाईट –www.ggckondagaon.in से किया जा सकता है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्यात, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु– 1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी ग्रंथापाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रं.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1	इतिहास	–	–	01	–	–
2	प्राणीशास्त्र	01	–	01	–	–
3	गणित	01	–	02	–	–
4	अंग्रेजी	01	–	01	–	–
5	अर्थशास्त्र	–	–	01	–	–
6	वाणिज्य	01	–	01	–	–
7	समाजशास्त्र	01	–	–	–	–
8	भूगोल	01	–	–	–	–
9	राजनीतिशास्त्र	02	–	–	–	–
10	कम्प्यूटर साईंस (बी.एससी.)	–	–	01	–	–
11	कम्प्यूटर एप्लीकेशन(बी.सी.ए.)	–	–	01	–	–
12	क्रीडाधिकारी	–	–	–	–	01
13	ग्रंथपाल	–	–		01	–
	योग	08	.	09	01	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याखाता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वी., 12वीं., स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 22/07/024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन होगा।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त पर नियमानुसार मेटिर सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 27/07/2024 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 30/07/2024 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 01/08/2024 को जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन अपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथ व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	**विवरण**	**अतिथि व्याख्याता**	**अतिथि शिक्षण सहायक**
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- 41,600/-प्रतिमाह अधिकरण)	1200/- (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/-1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/- प्रतिदिन (40,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- प्रतिदिन (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर **पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागाँव, तहसील– कोण्डागाँव, जिला– कोण्डागाँव (छ.ग.) पिन 494226** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लो–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृति कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16 यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
शास. गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव
जिला– कोण्डागांव (छ.ग.)

Principal
Govt. College Kondagaon
Distt.- Kondagaon (C.G)

पृ. क्रमांक 749/अ.व्या./2024 कोण्डागांव, दिनांक 12/07/2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.), को उनके उक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में पालन प्रतिवेदन के साथ सादर संप्रेषित।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.), को उनके उक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में पालन प्रतिवेदन के साथ सादर संप्रेषित एवं सूचनार्थ।
3. स्थापना शाखा/कम्प्यूटर फोल्डर/अतिथि व्याख्याता व्यवस्था शाखा, कार्यालय, शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव को सूचनार्थ।

प्राचार्य
शास. गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जिला– कोण्डागांव (छ.ग.)

Principal
Govt. College Kondagaon
Distt.- Kondagaon (C.G)